


**विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 5950 के प्रश्नांश ख, ग एवं घ से संबंधित परिशिष्ट 'अ'**

अन्य अखिल भारतीय सेवाओं (अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आये अधिकारियों के वेतन संरक्षण संबंधी आवेदनों पर तथ्यात्मक स्थिति दर्शाने वाला पत्रक (प्रश्नांश ख, ग एवं घ से संबंधित)

अनु.	आवेदनकर्ता अधिकारी नाम एवं बैच	पूर्व सेवा का विभाग	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दिनांक	प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही- स्वीकृति/कारण
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	श्री अंशुल गुप्ता (2016)	भारतीय पुलिस सेवा, उत्तरप्रदेश संवर्ग (2012)	दिनांक 29.08.16	प्रकरण में श्री अंशुल गुप्ता के पूर्व पदस्थापना वाले विभाग से पत्राचार उपरांत पाया गया कि श्री गुप्ता पूर्व सेवा में स्थायी नहीं हुये थे तथा आपसे में चयन परीक्षा देने हेतु उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आपसे वेतन नियम 2016 के नियम (5) अनुसार पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। श्री अंशुल गुप्ता के आवेदन पर तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत पाया गया कि उनका पूर्व सेवा में स्थायीकरण न होने से उन्हें वेतन संरक्षण की पात्रता नहीं है।
2.	श्री विवेक कुमार (2017)	1. भारतीय पुलिस सेवा पंजाब शासन,	दिनांक 28.08.17	श्री विवेक कुमार द्वारा अपने आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के ठीक पूर्व की सेवा भारतीय पुलिस सेवा की रही है जो मात्र 8 मार्च 2015 दिवस की है। आपसे वेतन नियम 2016 के नियम (5) अनुसार पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। इसके पूर्व वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दिनांक 9.7.12 से 16.12.16 तक सेवा में रहे हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा पंजाब शासन गुरु एवं न्याय विभाग तथा पुलिस महानिदेशक पंजाब से पत्राचार किया गया। पंजाब सरकार की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
3.	श्री शेर सिंह मीना (2017)	1. भारतीय पुलिस सेवा पश्चिमी बंगाल संवर्ग (2016)	दिनांक 28.08.2017	आपसे वेतन नियम 2016 के नियम (5) अनुसार पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। उनके द्वारा आपसे से पूर्व की एक और सेवा का भी विवरण दिया गया है जो उनके द्वारा दिनांक 22.12.14 से दिनांक 16.12.16 तक भारतीय राजस्व सेवा के अंतर्गत की गई है। इस संबंध में विभाग को होम एण्ड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मीना द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। विभाग के पत्र दि. 29.08.2020 द्वारा भारत सरकार गुरु मंत्रालय से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण बाबत जानकारी चाही गई जो अप्राप्त है। जानकारी प्राप्त होने के परचात नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।


निरन्तर

  
 सप सचिव (लेखा)  
 मध्यप्रदेश शासन  
 सामान्य प्रशासन विभाग

**विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 5950 के प्रश्नांश ख, ग एवं घ से संबंधित परिशिष्ट 'अ'**

अन्य अखिल भारतीय सेवाओं (अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आये अधिकारियों के वेतन संरक्षण संबंधी आवेदनों पर तथ्यात्मक स्थिति दर्शाने वाला पत्रक (प्रश्नांश ख, ग एवं घ से संबंधित)

अनु.	आवेदनकर्ता अधिकारी नाम एवं बैच [2]	पूर्व सेवा का विभाग [3]	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दिनांक [4]	प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही- स्वीकृति/कारण [5]
4	श्री मोहित बृंदस (2011)	भारतीय पुलिस सेवा झारखंड	दिनांक 29-08-2011	श्री मोहित बृंदस आपसे वेतन नियम 2007 की प्रभावशीलता अवधि के दौरान आपसे में आये थे और आपसे वेतन नियम 2007 के नियम 4 के अनुसार पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। पूर्व सेवा में स्थायीकरण न होने से श्री बृंदस को पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण की पात्रता नहीं है।
5	श्री हिमांशु प्रजापति (2019)	भारतीय वन सेवा मध्यप्रदेश संवर्ग	दिनांक 26-08-2019	श्री हिमांशु प्रजापति केवल 8 माह 14 दिन ही पूर्व सेवा में रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार वेतन संरक्षण के लिये पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है चूंकि श्री प्रजापति की पूर्व सेवा में स्थायी होने की स्थिति नहीं है, अतः उनकी पूर्व सेवा का वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं है।

  
उप सचिव (लेखा)  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग